प्रपत्र–2

भाग–1

(प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भरे जाने के लिए) परियोजना विवरण :–

1. क) अपेक्षित वन भूमि के लिए प्रस्ताव/परियोजना/स्कीम का संक्षिप्त विवरण–		शम्भू की चौकी से ददउ–पजिया–बनसार ठुरउ तक विस्तार कि0मी0 2 से 11 तक मार्ग के नवनिर्माण हेतु 1.8536 हे0 वन भूमि लो0नि0वि0 को हस्तान्तरण। शासनादेश संख्या 1398/III-2/06–17 (प्रा0आ0)/2006 दिनांक 29/08/2005 तथा 2558/111–/07–17 (प्रा0आ0)/06 दिनांक 25.09.06 सलंग्नक– 7 पर संलग्न हैं।
ख) 1:50,000 स्केल मैप पर वन भूमि और उसके आस–पास के वनों की सीमाओं को दर्शाने वाला मैप।	–	
ग) परियोजना की लागत।	–	162.40 लाख
घ) वन क्षेत्र में परियोजना स्थापित करने	–	स्थानीय जनता को यातायात की सुविधा उपलब्ध कराना एवं का औचित्य।पिछड़े क्षेत्र के विकास हेतु।
ड.) लागत लाभ विश्लेषण (संलग्न किये जानेके लिए)	–	उक्तानुसार ।
च) रोजगार जिनके पैदा होने की संभावना है।	–	कृषि में वृद्वि होगी जिससे रोजगार पैदा होगें।
2. कुल अपेक्षित भूमि का उद्देश्य एवं विवरणः	–	स्थानीय जनता को यातायात की सुविधा उपलब्ध कराना पिछड़े क्षेत्र के विकास हेतु।
3. परियोजना के कारण लोगों को हटाने का विवरण, यदि कोई है		
क) परिवारों की संख्या	–	कोई नही।
ख) अनुसूचित जाति/जनजाति के परिवारों की संख्या	–	कोई नही।
ग) पुर्नवास योजना (संलग्न किये जाने के लिए)	–	आवश्यकता नही।
.4. क्या पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत मन्जूरी आवश्यक है ? (हां/नही)	–	नही।
5. प्रतिपूरक वनीकरण करने तथा उसके अनुरक्षण और या दण्ड स्वरूप प्रतिपूरक वनीकरण की लागत के साथ–साथ राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई योजना के अनुसार संरक्षण लागत और सुरक्षा क्षेत्र आदि में पुनः वनीकरण की वचनावद्धता (वचनवद्धता संलग्न की जाये)	–	सॅलग्नक–
6. निर्देशों के अनुसार संलग्न अपेक्षित प्रमाण पत्रों/दस्तावजेजों का व्यौरा।	–	सॅलग्न हैं।

दिनांक.....
स्थान.....

सहायक अभियन्ता
अ0 खण्ड लो0नि0वि0,
सहिया।

अधिशासी अभियन्ता
अ0 खण्ड लो0नि0वि0,
सहिया।

प्रपत्र–2.1

भाग–।।

(सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

प्रस्ताव की राज्य कम संख्या....................

7. परियोजना/स्कीम का स्थान– शम्भू की चौकी से ददउ–पजिया–बनसार ठुरउ तक विस्तार कि0मी0 2 से 11 तक मार्ग के नवनिर्माण हेतु 1.8536 हे0 वन भूमि लो0नि0वि0 को हस्तान्तरण।

i) राज्य/संघ शासित क्षेत्र –	उत्तराखण्ड
ii) जिला–	देहरादून
iii) वन प्रभाग–	चकराता वन प्रभाग
iv) वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)	1.8536 है0
v) वन की कानूनी स्थिति	सिविल सोयम आदि
vi) हरियाली का घनत्व	0.1 से 0.2 तक
vii) प्रजातिवार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि श्रेणीवार वृक्षों की परिगणना (संलग्न की जाए)। सिंचाई/जलीय परियोजनाओं के सम्बन्ध में एफ0आर0एल0 – 8 मी0 पर परिगणना भी संलग्न किए जाए	उक्त मोटर मार्ग निर्माण मे चकराता वन प्रभाग के अन्तर्गत कुल बाधित वृक्षो की सं0 500 है। जो प्रस्ताव के साथ सॅलग्न है।
viii) भूसंरक्षण के लिए वन क्षेत्र की संवेदन शीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी।	संलग्न है
ix) वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित स्थल की वन की सीमा से अनुमानित दूरी	शून्य (0) मी0
x) क्या फार्म राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य जैवमण्डल रिजर्व, बाघ रिजंर्व, हाथी कारीडोर आदि का भाग है (यदि हां, क्षेत्र का ब्यौरा और प्रमुख वन्य जीव वार्डन की टिप्पणीयॉ अनुबन्धित की जाए)	नहीं
xi) क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणिजात की दुर्लभ /संकटापन्न/विशिष्ट प्रजातियॉं पाई जाती है यदि हां/तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा दें।	नहीं
xii) क्या कोई सुरक्षित पुरातत्वीय/पारम्परिक स्थल/ रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित है, यदि हॉ तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण–पत्र के साथ यदि अपेक्षित हो, या	
8– प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भाग–1 कालम 2 में प्रस्तावित वन भूमि आवश्यकता परियोजना के लिए अपरिहार्य और न्यूनतम है। यदि नहीं, तो जांचे गए विकल्पों के ब्यौरों के साथ मदवार संस्तुत क्षेत्र क्या है।	हां प्रस्तावित वन भूमि न्यूनतम है।
9– क्या अधिनियम के उल्लघंन में कोई कार्य किया गया है (हॉ/नहीं) यदि हॉ, तो कार्य की अवधि, दोषी अधिकारियों पर की गयी कार्यवाही सहित कार्य का ब्यौरा दें तथा उल्लघंन सम्बन्धी कार्य अभी भी चह रहे हैं।	नहीं

10– प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का ब्यौराः–

i. प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र/अवक्रमित वन क्षेत्र, आस–पास के वन क्षेत्र से इसकी दूरी, भू–खण्डों की संख्या, प्रत्येक भू–खण्डों की संख्या, — संलग्न है,

प्रत्येक भू–खण्ड का आकार।

ii. प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र/अवक्रमित वन क्षेत्र, आस–पास की वन सीमाओं को दर्शाता मैप। — संलग्न है,

iii रोपित की जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण, कार्यान्वयन एजेंसी, समय अनुसूची लागत ढाचा आदि। — 4,81,936=00

iv प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिए कुल वित्तीय परिव्यय।

v प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में और प्रबन्धकीय दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण–पत्र (सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाए)।

11– जिला वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिर्पोट विशेषतः उपर्युक्त कालम 7 (गपए गपप) 8 और 9 में पूछे गये तथ्यों को दर्शाते हुए (संलग्न करें)

12– प्रभाग/जिला प्रोफाइल

जिला का भौगोलिक क्षेत्र। — 3088 व. कि.मी.

i. जिला का वन क्षेत्र। — 2116.91 व. कि.मी.

ii. मामलों की संख्या सहित 1980 से वनेत्तर प्रयोग में लाया गया कुल क्षेत्र। — 673.61 है०

iii. 1980 से जिला/प्रभाग में निर्धारित कुल प्रतिकूल वनीकरण

(क) दण्ड के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित वन भूमि

(ख) वनेत्तर भूमि पर — 671.0 है.

.... तक प्रतिपूरक वनीकरण में हुयी प्रगति

(क) वन भूमि पर

(ख) वनेत्तर भूमि पर

13– प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव अन्यथा लेने के सम्बन्ध में उप वन संरक्षक की विशेष सिफारिश। इस मार्ग निर्माण से स्थानीय ग्रामीण को यातायात परिवहन एवं अन्य कार्य उपज को स्थानीय मण्डी तथा आवागमन हेतु उक्त मार्ग निर्माण की संस्तुति की जाती है।

दिनांक.................. 2015

स्थान.......... चकराता

हस्ताक्षर

सरकारी मोहर

प्रभागीय वनाधिकारी
चकराता वन प्रभाग
चकराता (देहरादून)

उप-प्रभागीय वनाधिकारी
चकराता वन प्रभाग
कालसी